

मूल वाद में डिक्ली

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपवान

प्रह्लाद आदि बनाम शान्ति आदि

संख्या संख्या :- 88 R.A.C.T

दिनांक :- 31/12/21

दिनांक :- 13-12-21

वादी की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-12-21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रौही मौजा गालगस के खाला सं० 25/31 के खसस सं० 32, 37/43 कुल फास 8 हे० बारागी व रौही पालडी के खाला सं० 24/19 के खसस सं० 175, 177 कुल 1.872 हे० बारागी खालाकारी लुमि मुमि में वादीगण सं० 1 व 2 के नाम से खसस सं० 32/33 के नाम से हिस्सा राफस रिवाज में 2/3 उक्त नगिती वाद मुमि में खसस सं० 32/33 का नाम कलमजग किमि जागर वादीगण सं० 1 प्रह्लाद व वादीगण सं० 2 जयप्रभाज का नहिस्सा बरागस के खालाकार वादीगण किमि जागर मुमि प्रतिवादी सं० 1 का उ न उक्त वाद मुमि में से अपना एक व हिस्सा वादीगण सं० 1 व 2 के पूरा में लाजा कर ग्रुप कर निमा है खालाकार वादीगण किमि गमि हिस्से पर पेजीमन विभाजि का किमि पेजीमन मुमि असा करतु व यदि इमि मुमि वादीगण के खसस सं० 32/33 के उपासता व राफस रिवाज में खसस सं० 32/33 किमि जागर राफस का डिगि का वादीगण पदा जाव

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्ली आज दिनांक 13-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) (शिविर प्रभाते) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़ 21/12/21